नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023

अधि.क्रमांक05 /3/3/4/0009/2022/18-3 भोपाल, दिनांक23 /02/2023

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 358 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 254 के साथ पठित धारा 355, 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लोक मार्गों अथवा स्थानों पर आवारा पशुओं के समुचित नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभः–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम, 2023 है।

(2) इन नियमों का विस्तार नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपरिषद् के अधिकार क्षेत्र के अधीन समस्त क्षेत्रों पर होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **परिभाषाएंः–** इन नियमो में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) ''पशु'' से अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित है कोई मवेशी, श्वान, बैल, घोड़ा, सुअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़ या अन्य कोई पशु;

(ग) ''पशु कल्याण संगठन'' से अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए सोसायटी तथा पशुओं के कल्याण के लिए अन्य

कोई संगठन, जो मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तथा जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अधीन गठित भारतीय पशु कल्याण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(घ) ''ब्रांडिंग कोड'' से अभिप्रेत है प्रत्येक पशु को दिया गया एक पहचान चिन्ह/संख्या;

(ङ.) ''कांजी हाउस'' से अभिप्रेत है समस्त प्रकार के आवारा पशुओं को रखने का कोई स्थान;

(च) ''न्यायालय'' से अभिप्रेत है क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाला सिविल न्यायालय;

(छ) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम का आयुक्त अथवा नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(ज) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(झ) ''स्वामी'' से अभिप्रेत है स्वामी अथवा स्वामी की अनुमति से अथवा अनुमति के बिना पशु या मवेशी पर अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति अथवा संगठन;

(ञ) ''रजिस्ट्रीकरण शुल्क'' से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन किसी पशु के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय–समय पर विहित शुल्क;

(ट) ''आवारा पशु'' से अभिप्रेत है नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आवारा भटकता पाया जाने वाला किसी भी प्रकार का पशु ;

(ठ) ''पशु चिकित्सक'' से अभिप्रेत है किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी उपाधि धारित करने वाला कोई व्यक्ति तथा जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत है।

3. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण तथा नवीनीकरण :–

(1) नगरपालिका सीमा में रखे गए या लाए गए प्रत्येक पशु का स्वामी इन नियमों के अधिसूचित होने के तीन माह के भीतर अथवा उनके नगरपालिका सीमाओं में लाए जाने के 7 दिवस के भीतर, पशु के रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित नगरपालिका के अनुज्ञापन प्राधिकारी को विहित प्रारूप क में आवेदन करेगा ऐसा करने में असफल रहने पर स्वामी पर ऐसे पशु के रजिस्ट्रीकरण शुल्क का दस गुना शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ, स्वामी परिशिष्ट '1' में यथाविहित रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान करेगा तथा पशु चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से जारी प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पशु किसी संक्रमक रोग से पीड़ित नहीं है तथा वह इस प्रयोजन के लिए बनाए गए परिसर में रखे जाने के लिए योग्य है।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् पशुचिकित्सक की देखरेख में पशु को माइक्रोचिप अथवा टैग या किसी अन्य अनुज्ञेय साधनों द्वारा ब्रांडिंग कोड लगवाएगा, जिसमें स्वामी की विस्तृत जानकारी अंतर्विष्ट होगी। ब्रांडिंग कोड को नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में भी दर्ज किया जाएगा। ब्रांडिंग कोड की लागत स्वामी द्वारा वहन की जाएगी।

(4) पशु का रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति के पश्चात्, स्वामी तीस दिनों की अवधि के भीतर नवीनीकरण के लिए प्रारूप क में आवेदन देगा, जिसमें असफल रहने पर विलंब के प्रत्येक दिन के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

4. कांजी हाउस का निर्माण तथा संधारण :–

(1) प्रत्येक नगरपालिका जब्त किए गए आवारा पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त क्षमता के कांजी हाउस का निर्माण करेगी। किसी ब्रांडिंग कोड के साथ अथवा उसके बिना कोई पशु, यदि वह सड़कों पर अथवा उसे रखे जाने के लिए अधिकृत परिसर के बाहर भटकता अथवा बंधा पाया जाए, तो वह नगरपालिका

द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जब्त किया जाएगा तथा कांजी हाउस निरूद्ध किया जाएगा तथा यदि जब्त किए जाने के एक सप्ताह के भीतर स्वामी द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तो उसका नगरपालिका द्वारा उपयुक्त रीति में निपटान किया जाएगा।

(2) पशु के स्वामी से पशु के कांजी हाउस में निरोध की समयावधि के लिए परिशिष्ट '2' में यथाविहित शुल्क के साथ एक मुश्त शास्ति वसूल की जाएगी।

(3) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है कि किसी पशु के सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का संदेह है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे पशु के स्वामी को, उस पशु को पशु चिकित्सालय में यथास्थिति उपचार अथवा अवलोकन के लिए भेजने के लिए नोटिस जारी करेगा तथा यदि उस पशु का इलाज संभव नहीं है, तो पशुचिकित्सक की अनुशंसा पर उक्त पशु का पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप, मरणोत्तर परीक्षण (पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन) की रीति और शव निपटान) नियम, 2010 (The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (From of Vaccination Certificate, Manner of Post Mortem Examination and Disposal of Carcass) Rules, 2010) में यथाविहित रीति में निपटान किया जाएगा। पशु के इलाज तथा निपटान से संबंधित समस्त व्यय स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे।

(4) यदि कोई ब्रांडेड पशु दो बार से अधिक आवारा भटकते हुए पाया जाए, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उक्त पशु के स्वामी को सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी करेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का स्वामी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण रद्द करने तथा परिशिष्ट '2' में यथाविहित शास्ति वसूल करने हेतु सशक्त होगा। इसके अतिरिक्त, पशु को जब्त किया जाएगा तथा नीलामी द्वारा निपटान किया जाएगा।

(5) ये नियम पशु प्रदर्शन इत्यादि के लिए लाए जाने वाले पशुओं पर भी लागू होंगे।

5. **पशुओं को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए सावधानी** .– किसी पशु का स्वामी या प्राधिकृत नियंत्रक, किसी व्यक्ति को परेशानी या नुकसान से बचाने के लिए, किसी पशु को स्वतंत्र, सुरक्षित रूप से थूथनबंद या साजबद्ध किए बिना या जंजीर से बांधे बिना, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाएगा।

6. **पशुओं को रखने से अपात्रता** .–

(1) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960, (1960 का 59) के अधीन किसी पशु के स्वामी को दोषी ठहराए जाने की दशा में, न्यायालय उसे ऐसा पशु रखने के लिए तथा पशु अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने के लिए ऐसे समय तक के लिए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, अपात्र आदेशित कर सकेगा तथा ऐसे स्वामी को जारी की गई अनुज्ञप्ति निलंबित की गई समझी जाएगी तथा इस प्रकार जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति अपात्रता की समय–सीमा में प्रभावहीन होगी।

(2) पशु क्रूरता के अपराध के लिए ऐसे स्वामी की अनुज्ञप्ति निलंबित किए जाने पर संबंधित पशु को स्वामी के व्यय पर संबंधित नगरपालिका के कांजी हाउस में रखा जाएगा।

7. **खतरनाक पशु** .–

(1) किसी पशु के खतरनाक होने के संदेह पर या उसे उचित नियंत्रण में न रखे जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, स्वामी को उक्त पशु को तत्काल उचित नियंत्रण में रखने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा तथा उससे सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को भी कहेगा।

(2) स्वामी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान नहीं होने की दशा में, वह स्वामी को नया नोटिस, यह निर्देश देते हुए जारी करेगा कि यदि पशु को तीन दिन के भीतर उचित नियंत्रण में रखने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो पशु को जब्त कर उसका निपटान नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश विरूद्ध कोई अपील, आदेश जारी करने के तीस दिवस के भीतर, यथास्थिति, नगरपालिक निगम की दशा में नगरनिगम के समक्ष तथा नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की दशा में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) किसी आक्रामक पशु के स्वामी को ऐसे पशु को सुरक्षित रूप से बांधे बिना स्वतंत्र रखने अथवा किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए जानबूझकर या अनजाने में उकसाने या प्रवृत्त करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

8. **आवारा पशुओं का बंध्याकरण** .– अनुज्ञापन प्राधिकारी सार्वजनिक स्थान पर आवारा घूमने वाले बिना ब्रांडिग कोड के किसी पशु को जब्त करने तथा उसका पशु चिकित्सक द्वारा बंध्याकरण करने के लिए किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत करेगा। नगरपालिका, लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन इस कार्य के लिए, पशु कल्याण संगठनों या गैर सरकारी संस्थाओं को भी सम्मिलित कर सकेगी।

9. **निधियों का उपयोग**.– रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण शुल्क तथा जुर्माना प्रभार के रूप में एकत्र किए गए सभी राजस्व का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) कांजी हाउसों का संधारण ;

(ख) चारे, स्वास्थ्य देखभाल तथा पशु चिकित्सा सेवाओं की लागत।

10. **निरसन तथा व्यावृति**.– इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, उपविधियां, तथा निर्देश एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित उपविधियों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्रारूप – क

[नियम 3(1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण का प्ररूप

1. नगरपालिका का नाम :
2. रजिस्ट्रीकरण नंबर :
3. आवेदक का नाम :
4. पिता का नाम :
5. नगरपालिका में आवासीय पता :
6. मकान नंबर : वार्ड नंबर : स्थान :
7. स्थायी पता :
8. पशुओं की संख्या :
9. पशुओं की श्रेणी :
10. पशुओं के प्रकार :
11. उस स्थान के ब्यौरे जहां पशुओं को रखा जाएगाः
12. पानी एवं प्रकाश की व्यवस्था के ब्यौरे :
13. मल निष्कासन की व्यवस्था :
14. क्या पशु को पशु चिकित्सक द्वारा सांसर्गिक/संक्रामक रोगों से मुक्त प्रमाणित किया गया है?
15. क्या रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है?
16. यदि हां, तो उसके ब्यौरे :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिपर्ण

रजिस्ट्रीकरण नंबर

.... (नाम) निवासी ....

से पशुओं के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

रजिस्ट्रीकरण लिपिक के हस्ताक्षर,

नगरपालिका

परिशिष्ट—1

पशुओं के लिए रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण शुल्क

अनु.क्र.	पशु की श्रेणी	रजिस्ट्रीकरण शुल्क	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्वान	रू.150/—	रू. 50/—
2.	मवेशी/ बैल	रू. 200/—	रू. 100/—
3.	अन्य पशु	रू. 50/—	रू. 25/—

परिशिष्ट—2

आवारा पशुओं के लिए एकमुश्त शास्ति एवं कांजी हाउस में निरोध के लिए शुल्क

अनु.क्र.	पशु की श्रेणी	आवारा पशु के लिए एकमुश्त शास्ति			कांजी हाउस में निरोध का शुल्क (प्रतिदिन)
		प्रथम अपराध	द्वितीय अपराध	तृतीय अपराध	
1.	श्वान	रू. 100/—	रू.200/—	रू.500/—	रू.50/—
2.	मवेशी / बैल	रू.200/—	रू.500/—	रू.1000/—	रू.150/—
3.	अन्य पशु	रू.100/—	रू.200/—	रू.500/—	रू.100/—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023

अधि. क्र. 05—3—3—4—0009—2022—अठारह—3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23—3—3—4—0009—2022—अठारह—3, दिनांक 23 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय उपसचिव.

Not. No.05-3-3-4-0009-2022-VIII-3 Bhopal, the 23rd February 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 433 read with section 358 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 355, 356 read with section 254 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules for proper control of stray animals at public street or place within the limits of municipal area, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Municipality (Registration and Proper Control of Stray Animals) Rules, 2023.

(2) These rules shall extend to the entire area under the jurisdiction of the Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Parishad.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(b) "Animal" means and includes any Cattle, Dog, Bull, Horse, Pig, Camel, Pony, Goat, Sheep or any other animal;

(c) "Animal Welfare Organization" means and includes the society for prevention of cruelty to animals and any other welfare organization for animals which is registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or any other corresponding Act for the time being in force and which is recognized by the Animal Welfare Board of India constituted under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(d) "Branding Code" means an identification mark/number given to each animal;

(e) "Cattle Pound" means a place where all types of stray animals are kept;

(f) "Court" means the civil court having jurisdiction over the area;

(g) "Licensing Authority" means the Commissioner of a Municipal Corporation or the Chief Municipal Officer of Municipal or Nagar Parishad;

(h) "Municipality" means any Municipal Corporation as constituted under section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or Municipal Council or Nagar Parishad as constituted under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(i) "Owner" means any individual or organization whether owner or having possession of animal or cattle with or without the consent of the owner;

(j) "registration fee" means a fee for registration of an animal prescribed under these rules from time to time;

(k) "Stray Animal" means any kind of animal found straying around within the limits of Municipality;

(l) "Veterinary Doctor" means a person holding degree issued by the recognized veterinary college and is registered with the Indian Veterinary Council.

3. Registration of animals and renewal.-

(1) The owner of every animal kept or brought within the limits of the Municipality shall within three months of notification of these rules or within 7 days of its arrival in the municipal limits, apply for registration of the animal to the licensing authority of the concerned municipality in the prescribed Form A failing which penalty of ten time of the registration fee for such animal shall be imposed on the owner.

(2) Along with the application of registration, owner shall pay the registration fee as prescribed in Annexure 1 and also submit a certificate duly issued by a veterinary doctor that the animal does not suffer from any infectious or contagious disease and is fit to be kept within the premises meant for the purpose.

(3) Licensing authority after registration shall get the animal branded through microchip, tag or any other permissible means under the supervision of veterinary doctor with Branding Code which will contain detailed information of the owner. The Branding Code shall also be recorded in the registration record of the Municipality. The cost of Branding Code shall be borne by the owner.

(4) The registration of the animal shall be valid for a period of one year. After the expiry of the registration period, the owner shall apply for renewal in Form A within a period of thirty days, failing which a penalty at the rate of ten percent of the registration fee shall be imposed for each day of delay.

4. Construction and maintenance of cattle pounds.-

(1) Every Municipality shall construct cattle pounds of adequate capacity to keep impounded stray animals. An animal with or without Branding Code, if found straying or tethering on the streets or outside the enclosure of the premises where it is authorized to be kept, shall be impounded and detained in the Cattle pound by the officer authorized by the Municipality and shall be disposed off in an appropriate manner by the Municipality, if not claimed by the owner within a week of its impounding.

(2) A one time penalty along with fee for the period of detention in the cattle pound as prescribed in Annexure 2 shall be recovered from the owner of the animal.

(3) In case, it is brought to the notice of licensing authority, that an animal is suspected to be suffering or suffering from any infectious or contagious disease, the licensing authority shall issue a notice to the owner of such animal to refer the animal to the veterinary hospital for observation or treatment, as the case may be, and if the animal cannot be cured, on the recommendation of the veterinary doctor, said animal shall be disposed off in the manner as prescribed in the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Form of Vaccination Certificate, Manner of Postmortem Examination and Disposal of Carcass) Rules, 2010. All expenses related to treatment and disposal of the animal, as the case may be, shall be borne by the owner.

(4) Branded animals, if found straying more than two times, licensing authority shall issue a notice to the owner to give explanation within seven days. In case licensing authority is not satisfied with the explanation given by the owner, he shall be empowered to cancel the registration and to recover penalty as prescribed under Annexure 2. In

addition to this, the animal shall be impounded and disposed of by auction.

(5) These rules shall also apply to the animals brought for animal show etc.

5. Caution for taking animal to public place.-

Owner of the animal or his authorized handler, shall not allow any animal to be at large in public street or public place without being securely muzzled or harnessed or chained to avoid any annoyance or harm to any person.

6. Disqualification from keeping animals.-

(1) In case of conviction of the owner of an animal, under Prevention of cruelty Animals Act, 1960 (59 of 1960), the court may order him to be disqualified for keeping such animal and for holding or obtaining an animal license for such period as it thinks fit and the license issued to such owner shall be deemed to have been suspended and the license so issued shall not have any effect during the span of such disqualification.

(2) On suspension of the license of such owner for the offence of cruelty to animal, the animal concerned, shall be kept in the Cattle pound of the concerned municipality at the expense of the owner.

7. Dangerous animal.-

(1) On receipt of a complaint regarding an animal suspected to be dangerous or not being kept under proper control, the licensing authority, shall issue a notice directing the owner to put the animal immediately, under proper control and shall also ask him to give explanation within seven days.

(2) In case the licensing authority is not satisfied with the explanation given by the owner, he shall issue a fresh notice to the owner directing him that if the direction to keep the animal under proper control is not complied within three days, the animal shall be impounded and disposed of by auction.

(3) An appeal against the order of the licensing authority can be filed before the Corporation in case of the Municipal Corporation and also to the Council in case of Municipal

Council and Nagar Parishad, as the case may be, within 30 days of issue of such orders.

(4) The owner of any ferocious animal shall not allow such animal to be at large without being securely chained or to be set on or urge such animal to attack, intimate any person knowingly or unknowingly.

8. Sterilization of stray animals.-

The licensing authority shall authorize an officer or officers to impound any animal found straying in public place, which does not have a Branding Code and get it sterilized from the veterinary doctor. The Municipality may involve Animal Welfare Organizations or other NGO's in this exercise subject to compliance of provisions of the applicable Acts and Rules.

9. Utilization of funds.-

All revenue collected by way of registration/renewal fee and penalty charges shall be used for the following purposes, namely :-

(a) Maintenance of Cattle Pounds;

(b) Cost of feed, health care and veterinary services.

10. Repeal and saving.-

All rules, bye-laws and instructions in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made, or action taken under the bye-laws, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM-A
[see rule 3 (1)]
FORM OF REGISTRATION/RENEWAL

1. Name of Municipality :
2. Registration No. :
3. Name of the applicant :
4. Father's Name :
5. Residential address in Municipality :
6. House No. Ward No. Locality
7. Permanent address :
8. Number of animals :
9. Category of animals :
10. Types of animals :
11. Details of place where animals shall be kept :
12. Details of water and lighting arrangements :
13. Arrangement of disposal of faeces :
14. Has the animal been certified by the veterinary doctor to be free from contagious/infectious diseases?
15. Has the fee for registration/renewal been paid?
16. If yes, details thereof :

Signature of the applicant

COUNTERFOIL

Registration No.

Received an application for registration/renewal of animals from..................resident of..............

Signature of Registration Clerk,
Municipality

ANNEXURE-1
REGISTRATION/RENEWAL FEE FOR ANIMALS

S.No.	Category of animal	Registration Fee	Annual Renewal Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dogs	Rs.150/-	Rs.50/-
2.	Cattle/Bull	Rs.200/-	Rs.100/-
3.	Other animal	Rs.50/-	Rs25/-

ANNEXURE-2
One time penalty and detention fee at Cattle Pounds for Stray Animals

S.No.	Category of animal	One time penalty for Stray Animal			Fee for detention in Cattle Pound (per day)
		1st offence	2nd offence	3rd offence	
1.	Dogs	Rs.100/-	Rs.200/-	Rs.500	Rs.50/-
2.	Cattle/Bull	Rs.200/-	Rs.500/-	Rs.1000/-	Rs.150/-
3.	Other animals	Rs.100/-	Rs.200/-	Rs.500/-	Rs.100/-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.